162

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 728–दो/2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30–03–2007 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 158/2005–06/निगरानी

.....

1– ओमप्रकाश पुत्र नरोत्तम गुर्जर,
2– गायत्री पुत्री श्री नरोत्तम गुर्जर,
निवासी– ग्राम फतेहपुर, तहसील–श्योपुर
जिला–श्योपुर (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– नूरजहां पुत्री सोडू,
निवासिन– ग्राम मयापुरा तहसील व
जिला–श्योपुर (म0प्र0)

..... अनावेदिका

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ए0के0 अग्रवाल एवं श्री एस0एम0 भान, अभिभाषक, अनावेदिका

.....

आदेश

(आज दिनांक 17-11-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–03–2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मयापुर की भू–दान भूमि सर्वे क्र0 231/8 रकबा 15 बीघा पर तहसीलदार श्योपुर के प्र0क्र0 11/2003–04/अ–86 के आदेश दिनांक 27.07.2004 से आवेदकगण को पट्टा समान भाग पर स्वीकृत किया गया। जिस समय पट्टा दिया गया उस समय अनावेदिका का नाम न तो भूमिस्वामी के रूप में न ही कब्जेदार के रूप में पटवारी अभिलेख में दर्ज था, बल्कि पट्टा देते समय आवेदकगण तथा आवेदकगण के भाई का मौके पर कब्जा था। तहसीलदार ने सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये

आवेदकगण के पक्ष में पट्टा प्रदान किया था। पट्टे का अमल राजस्व कागजों में होने के उपरांत कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 38/2005–06/बी–121 से आवेदकगण को समंस प्राप्त हुआ। इसी दौरानं न्यायालय कलेक्टर श्योपुर के समक्ष अनावेदिका द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि कलेक्टर श्योपुर के आदेश में लिपकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जावे तथा तहसीलदार श्योपुर के प्र0क्र0 11/2003–04/अ–86 के आदेश दिनांक 27.07.2004 से आवेदकगण के पक्ष में प्रदान किये पट्टों का निरस्त किया जावे। अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय ने बिना विधि की प्रक्रिया अपनाये आदेश पारित कर तहसीलदार श्योपुर के प्र0क्र0 11/2003–04/अ–86 के आदेश दिनांक 27.07.2004 से आवेदकगण के पक्ष में प्रदान किये गये पट्टों को शून्य मानते हुये निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदकगण ने न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 158/2005–06/निगरानी पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 30.03.2007 द्वारा निगरानी निरस्त की गई । जिससे दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अनावेदिका को आवेदकगण के पट्टे होने की जानकारी उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन के अनुसार दिनांक 30.03.2005 को ही हो चुकी थी, किन्तु उसके द्वारा आवेदकगण के पट्टों के विरूद्ध कोई अपील या निगरानी विधिवत प्रस्तुत नहीं की गई और न ही आवेदकगण के पट्टों की प्रमाणित प्रतिलिपि को उसके द्वारा अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अन्दर समयावधि कोई चुनौती दी। इसके बावजूद भी अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय ने आदेश पारित कर आवेदकगण के पट्टों को निरस्त कर दिया, जिसको अधीनस्थ अपर आयुक्त ने अपने आलौच्य आदेश से शील लगा दी है। इस प्रकार अधीनस्थ कलेक्टर और अपर आयुक्त के आदेश विधि के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर में अनावेदिका का आवेदन दिनांक 31.05.2005 को प्रस्तुत किया गया । जबकि आवेदकगण को पट्टे दिनांक 27.07.04 को प्रदान किये गये थे। उक्त पट्टों को निरस्त करने की प्रार्थना निश्चित रूप से अवधि बाह्य प्रार्थना थी, जिसे क्षमा किये जाने बावत भी अनावेदिका ने कोई आवेदन पत्र अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया और न ही इस बावत कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। इसके बावजूद अधीनस्थ कलेक्टर न्याालया ने आवेदकगण के पट्टे निरस्त किये है और अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश से कलेक्टर के आदेश को सम्पुष्ट किया है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि अनावेदिका द्वारा अधीनस्थ कलेक्टर के न्यायालय में एक ही आवेदन–पत्र से दो सहायताओं की मांग की है। सर्वे क्र0 231/6 को संशोधित कर 231/8 कराने की कार्यवाही तथा आवेदकगण के पट्टों को निरस्त कराने की कार्यवाही निश्चित रूप से पृथक–पृथक कार्यवाहियां है और पृथक–पृथक सहायता है, जो एक आवेदन–पत्र से प्रदान नहीं की जा सकती है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बावत कोई विश्लेषण अपने निर्णय में नहीं किया है तथा आलौच्य आदेश पारित कर दिया है, जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। यह कि अनावेदिका ने जो आवेदन अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया और जिसके ऊपर से अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय की कार्यवाही अस्तित्व में आई, उसकी पूरी इबारत से यह स्पष्ट नहीं है कि अनावेदिका ने ग्राम–मयापुर की भूमि सर्वे क्रमांक 231/8 रकबा 15 बीघा की अपील अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जिसमें अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय का प्रकरण क्रमांक क्या है, यह भी उसमें उल्लेख नहीं है और न ही अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की कोई नकल एवं अधीनस्थ कलेक्टर के आदेश की कोई नकल भी प्रकरण में संलग्न नहीं थी, फिर अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र सर्वे क्र0 के आधार पर कैसे किसी प्रकरण को तलब कर रिकॉर्ड इक्कट्ठा किया तथा त्रुटि सुधारने के आदेश प्रदान किये, यह समझ से परे है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाहियों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही और आलौच्य आदेश आवेदकगण के विरूद्ध तथा अनावेदिका के पक्ष में पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर प्रदान किये गये है। उक्त सम्पूर्ण बातों के बावत निवेदन अधीनस्थ न्यायालय में आवेदकगण ने किया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी तथ्य का कोई विश्लेषण आलौच्य निर्णय में नहीं किया है तथा यह आलौच्य निर्णय पारित कर दिया है, जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। अंत में अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये, निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ अनावेदिका के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया ।

6/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम मयापुर की वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 231/8 रकबा 15 बीघा के स्थान पर 231/6

अपर कलेक्टर, श्योपुर के आदेश दिनांक 13.09.2001 में टायपिंग त्रुटि हो जाने पर अनावेदिका नूरजहां ने कलेक्टर, श्योपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2002 को प्रस्तुत किया गया। जब उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो अनावेदिका द्वारा दिनांक 31.05.2005 को एक और आवेदन पत्र कलेक्टर, श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपर कलेक्टर, श्योपुर द्वारा दिनांक 13.09.2001 को पारित आदेश में टंकण त्रुटि में सुधार किया जावे तथा खसरा पंचशाला की नकल लेने पर अनावेदिका को ज्ञात हुआ है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 231/8 रकबा 15 बीघा पर तहसीलदार श्योपुर के प्र0क्र0 11/2003–04/अ–86 के आदेश दिनांक 27.07.2004 से आवेदकगण को पट्टा प्रदान किया जा चुका है, वह भी निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, जिला–श्योपुर ने अपने प्र0क्र0 38/2005–06/बी–121 में अपर कलेक्टर, जिला–श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2001 में हुई टायपिंग त्रुटि में सुधार कर सर्वे क्रमांक 231/6 के स्थान पर सर्वे क्रमांक 231/8 पढ़े जाने का आदेश पारित किये जाने में को विधिक त्रुटि नहीं की गई है। किन्तु विचारण न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया है कि न तो तहसीलदार श्योपुर ने और न ही मौजा पटवारी द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है। क्योंकि बज भू–दान यज्ञ बोर्ड ही समाप्त हो गया है तब ऐसी स्थिति में भी तहसीलदार श्योपुर ने आवेदकगण को भू–दान यज्ञ अधिनियम के अन्तर्गत पट्टा प्रदान कर दिया। दूसरा तथ्य यह है कि ग्राम मयापुर स्थित विवादित भूमि का पट्टा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर ने अपने आदेश दिनांक 14.10.99 द्वारा निरस्त कर भूमि शासन में वैष्ठित कर दी। उसके विरूद्ध अपील किये जाने पर अपर कलेक्टर, श्योपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर का आलोच्य आदेश दिनांक 14.10.99 निरस्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, श्योपुर द्वारा वरिष्ठ न्यायालय अपर कलेक्टर, श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2001 को न मानते हुये कनिष्ठ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर का आदेश मानते हुये ग्राम मयापुर की वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 231/8 रकबा 15 बीघा का आवेदकगणों को बंटन कर दिया गया।

7/ प्रकरण में मौजा पटवारी के कथन से यह स्पष्ट है कि उसने इस संबंध में जो जांच कर ली कि विवादित भूमि शासन की किसी योजना के लिये सुरक्षित नहीं है, किन्तु यह नहीं देखा कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर अनावेदिका का नाम राजस्व कागजात में दर्ज है और यदि उसका नाम का इन्द्राज काटा गया है तो किस अधिकारी के आदेश से काटा गया और फिर अपर कलेक्टर, श्योपुर के आदेश के पाजन में उसका अमल राजस्व अभिलेख में क्यों नहीं

किया गया। प्रश्न यह नहीं है कि अपर कलेक्टर, श्योपुर के आदेश में टायपिंग त्रुटि होने से उसका इन्द्राज नहीं किया गया। मूल तथ्य यह है कि अपर कलेक्टर, श्योपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 14.10.99 निरस्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, श्योपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के आदेश को आधार क्यों माना। उपरोक्त सभी तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि तहसीलदार, श्योपुर एवं मौजा पटवारी द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के विपरीत जाकर अनुचित लाभ अर्जित करने के लिये जहां एक ओर राजस्व न्यायालय की गरिमा को धूमिल किया वही वरिष्ठ न्यायालय के आदेश की अवमानना भी की गई है। ऐसे में अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना ने कलेक्टर, श्योपुर को तहसीलदार, श्योपुर के इस कृत्य के लिये उनके विरूद्ध अनुशासनहीनता के अन्तर्गत विधिवत कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया है एवं कलेक्टर श्योपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.06 को यथावत रखा है। मैं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा निकाले गये इस निष्कर्ष से सहमत हूँ । मुझे अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2007 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं दिखती।

8/ अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2007 विधिसंगत है । उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतः अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना का आदेश स्थिर रखते हुये आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर